न्यायालय प्रथम अपील प्राधिकारी जिला कलक्टर बाड़मेर

सूचना अधिकार अपील/62/2019

अपींलाट केसुराम विश्नोई पुत्र श्री पूनाराम विश्नोई
निवासी मोटाणिया नगर तहसील बापीणी जिला जोधपुर

बनाम

राज्य लोक सूचना. अधिकारी तहसीलदार चौहटन

आदेश

दिनांक : 22.01.2020

अपीलार्थी केसुराम विश्नोई पुत्र श्री पूनाराम विश्नोई निवासी मोटाणिया नगर तहसील बापीणी जिला जोधपुर ने यह प्रथम अपील उत्तरदाता तहसीलदार चौहटन के विरूद्व सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अन्तर्गत इस कार्यालय मे दिनांक 30.05.2019 को प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी द्वारा अधिनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र व्यक्तिशः उपस्थित होकर/पंजीबद्व डाक द्वारा प्रस्तुत कर उनके कार्यालय से सम्बन्धित सूचना चाही गई। राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर वांछित सम्पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, फलस्वरूप यह प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। अपील के संलग्न राज्य लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रति एवं शुल्क रूपये 10/– का पोस्टल ऑर्डर संख्या 546229 दिनांक 01.04.2019 का प्रतिपर्ण संलग्न किया गया है।

अपीलार्थी की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट राज्य लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार चौहटन को जरिये नोटिस मय अपील की प्रति भिजवाते हुए टिप्पणी रिपोर्ट चाही गई। रेस्पोडेंट द्वारा निर्धारित सुनवाई तिथि को टिप्पणी प्रस्तुत कर प्रकट किया हैं कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के आवेदन पत्र का जवाब जरिए पत्र क्रमांक 11 दिनांक 04.11.2019 भिजवाया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाही गई सूचना से संबंधित यथा उपलब्ध दस्तावेजों की प्रतियां दी जा चुकी हैं शेष कोई सूचना बकाया नहीं है, लिहाजा अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावें।

हमने अपीलांट व रेस्पोडेंट को सुना एवं प्रस्तुत अपील एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलांट को जारी पत्राचार का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता हैं कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना से सम्बन्धित दस्तावेजों की यथा उपलब्धता सूचना दी जा चुकी हैं शेष के लिये असमर्थता जाहिर करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया गया हैं। इस प्रकार अधिनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र का नियमानुसार निस्तारण किया गया है। अतः रेस्पोडेंट के जवाब का अपील मीमो के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन उपरांत अपीलार्थी की यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं अधीनस्थ राज्य लोक सूचना अधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित हो।

प्रथम अपील प्राधिकारी
जिला कलक्टर बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर